मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755 2551659, 2554809, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@gmail.com

क्रमांक – 318 /का.प्र.2/मण्डल/2015 भोपाल, दिनांक 01.06.2015

॥ आदेश ॥

1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 2015 में परिशिष्ट–1 में अनुभाग 6 (स्थानान्तरण एवं पदस्थापना) में मण्डल के कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

संचालक मण्डल के 230 वें सम्मिलन दिनांक 19.05.2015 की पद संख्या–06 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर संकल्प क्रमांक 4847–06/ 230/ 05/2015 द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन) विनियम 2015 के अनुभाग– 6 में प्रदत्त अधिकारों के तहत मण्डल कार्मिकों के स्थानांतरण के लिये निम्नानुसार स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :–

(i) प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में अधिकतम निम्नानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेगें।

क्रमांक	पद/सवंर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानान्तरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201 से अधिक	40 + 200 से ऊपर का 10 प्रतिशत

(ii) मण्डल में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के एक ही स्थान पर पांच वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः पॉच वर्ष पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानान्तरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि यथास्थिति 3/5 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया जावे।

(iii) परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के कारण भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(iv) **स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानान्तरण** – स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित किए जाएं। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानान्तरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानान्तरण संबंधी आदेश अलग–अलग जारी किये जाए।

(v) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये उपलब्ध रिक्त पदों में से विकल्प के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाए।

(vi) पति–पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

27/5/15